



UPSR010004672026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती  
पीठासीन अधिकारी- राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा ID UP02008)

जमानत आवेदन सं०-170/2026

मुसीब खाँ उम्र करीब 46 वर्ष पुत्र इसहाक खाँ,  
निवासी-चिप्पीपुरवा दा० सेमगढ़ा थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ०प्र०

.....अभियोगी

अ० सं०-309/2025

धारा-101(3), 61(2), 238 बी०एन०एस०

थाना-इकौना, जिला श्रावस्ती।

दिनांक 01.04.2026

आदेश

यह जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **मुसीब खाँ** की ओर से अ०सं० 309/2025, धारा 101(3), 61(2), 238 बी०एन०एस०, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पर बल न दिये जाने का पृष्ठांकन किया गया है। बल न दिये जाने के कारण जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संचित अभिलेखागार हो।

(राकेश धर दुबे)

सत्र न्यायाधीश

श्रावस्ती